

फाइल संख्या: 8/02/2021 – भर्ती मु.
दिनांक 23.05.2022 को कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
भारत सरकार
कार्मिक,लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग
(वेबसाइट: www.ssc.nic.in)

विज्ञापन सं. चयन पद भर्ती /लद्दाख / 2022

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख	23.05.2022 से 13.06.2022
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	13.06.2022 (23:00 बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	15.06.2022 (23:00 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.06.2022 (23:00 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	18.06.2022
ऑनलाइन भुगतान सहित 'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' की तिथियां	27.06.2022 से 29.06.2022 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां	अगस्त 2022 (अनंतिम)

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

1. इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-III**में उल्लिखित चयन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है और व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व इस भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों, जैसे- **आवासीय मानदंड /आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/श्रेणी** इत्यादि को पूरा करते हैं। **पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और इसके लिए कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी।**

1.1 आवेदन की प्रस्थिति से लेकर प्रयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल है,

इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> / और आयोगके क्षेत्रीय कार्यालय- पश्चिमोत्तर क्षेत्र (एन डब्लू आर) चण्डीगढ़ की वेबसाइट अर्थात् <https://www.sscnwr.org> पर उपलब्ध होगी।

1.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित पदों की विभिन्न श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के संबंध में नवीनतम जानकारीके लिए क्षेत्रीय कार्यालय- पश्चिमोत्तर क्षेत्र, चण्डीगढ़ की वेबसाइट देखते रहें।

नोट: इस विज्ञप्ति में यथा-अधिसूचित कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त, 2022 में चरणX/2022/चयन पद परीक्षा (अंतिम) के साथ आयोजित की जाएगी।

2. पदों के ब्योरे/विवरण इस परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए हैं। पद के ब्योरों का सीधा लिंक अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे <https://ssc.nic.in> → Candidates Dashboard → Latest Notification → Selection Posts /Ladakh/2022 → Post Details Link पर लॉगइन करके देखा जा सकता है।

2.1 इन रिक्तियों को संघ क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग, मांगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2.2 वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक श्रेणियों के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पदश्रेणी के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए। उदारहण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे इन पद श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

3. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें:

3.1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके आवेदकों के लिए:शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजन के बाद या तदन्तर किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर, सक्षम प्राधिकारी से {अनुबंध-VI और अनुबंध-VI क} (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी जाति / उप जातियां / समुदाय भारत सरकार द्वारा अजा और अजजा श्रेणी के अधीन अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अजा. /अजजा. प्रमाणपत्र जमा करने के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 13.06.2022) होगी।

3.2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवेदक (ईडब्ल्यूएस): आयु में छूट, आरक्षण चाहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर, सक्षम प्राधिकारी से अनुबंध-XI के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा आरक्षण आदि के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 13.06.2022) मानी जाएगी। अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में यह भी ध्यान दे कि, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है।

3.3 अजा/अजजा/अपिव/आ.क.व./दि. /भू.सै. स्थिति, शुल्क में रियायत एवं आरक्षण के दावे हेतु निर्णायक तिथि, आवेदनपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 13.06.2022 होगी।

3.4 सरकारी कर्मचारी (जीई) आवेदकों के लिए अनुदेश

आयु में छूट के लाभ का दावा करने के लिए, आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अनुबंध-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र और अनुबंध-X (क) के अनुसार एक घोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा आयु में छूट के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी:- अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में आयोग को नियोक्ता द्वारा अनुमति रोके जाने की सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

4. दिव्यांगजन (दि.)/ (अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग/अन्य) आवेदकों के लिए :

दिव्यांगजनों (दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है।

टिप्पणी:“... दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.01.2021 को जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडीIII में उल्लिखित विषय-वस्तु“...दिनांक 04.01.2021 को अधिसूचित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए जिन पदों को उपयुक्त पाया गया है”, से संबंधित, अनुबंध-III में दिए गए पदों पर लागू किया जाएगा (जहां कहीं भी लागू हो)। इसलिए, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगता का विवरण देते हुए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के साथ-साथ प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की रिपोर्टिंग के अधीन होगा। आगे, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले, वे दिनांक 04.01.2021

के अधिसूचना सं.38-16/2020-डीडीIII में उल्लिखित पदों के ब्योरों के अनुसार अपनी पात्रता जांच लें।

अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडीIII, दिनांक 04.01.2021 के लिए लिंक

<https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/notifications.php>

4.2. केवल वे दिव्यांगजन (दि.), जिन्हें बेंचमार्क दिव्यांगता है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।

4.3. आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें प्रारूप [अनुबंध-VIII(प्रपत्र-VI)/(प्रपत्र-XIII-क)/ प्रपत्र-XIII-ख), (प्रपत्र-XIII-ग)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा दिव्यांग प्रस्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) तथा जम्मू और कश्मीर आरक्षण नियमावली 2005 के अन्तर्गत जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाणपत्र जमा करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 13-06-2022)मानी जाए।

4.4. **दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश।**

जैसाकि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना के अध्यधीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण)(पैरा 2.2) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओंसे पीड़ित अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलन संबंधी दिव्यांगता।	अस्थि दिव्यांग
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	

(ड)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित बहु-दिव्यांगताएं	अन्य
-----	--	------

5. **राष्ट्रीयता/निवास संबंधी मानदंड**

(क) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, और
 (ख) अभ्यर्थी /आवेदक को लद्दाख का निवासी होना चाहिए और उसके पास संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख निवास प्रमाणपत्र अनुदान (प्रक्रिया) आदेश, 2021 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुबंध-VII में दिए गए प्रारूप के अनुसार निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए।

6. **आयु-सीमा (दिनांक 01-01-2022 के अनुसार) :**

6.1 पद (पदों) की विशिष्ट श्रेणी के लिए आयु-सीमा का अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

6.2 **जन्म तिथि का प्रमाण:**आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें कोई परिवर्तन किए जाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

6.3 **ऊपरी आयु-सीमा में छूट:**आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

श्रेणी कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01.	अजा/अजजा	45 वर्ष तक
02	आ. क. व.	45 वर्ष तक
03.	दिव्यांगजन	44 वर्ष तक
04.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष नोट : ऊपर दी गई निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में दिनांक 13.09.2021 से दो वर्षों की अवधि के लिए 02 वर्ष की अतिरिक्त छूट अनुमेय होगी।
05 .	सरकारी सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्ति (यदि अन्य श्रेणियों अर्थात अजा/अजजा/ दिव्यांगजन में कवर न किया गया हो)	42 वर्ष तक

टिप्पणी : 1 - आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में ही स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उसी सीमा तक आयु में छूट प्राप्त होगी, जो कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

टिप्पणी : 2 -ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए यथा-प्रयोज्य सही आयु छूट कोड को भरना होगा।

7. भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।

- 7.1 शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग करने वाले भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का **परिशिष्ट-I**) से प्राप्त प्रारूप **अनुबंध-IX** के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.2 भूतपूर्व सैनिकों कोकेंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के तहत अधीनस्थ सेवा से संबंधित सीधी भर्ती पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 6% की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका वेतन स्तर-6 ई (35900-113500) या उक्त वेतन स्तर तक है।
- 7.3 भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट, शुल्क में रियायत, और आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
- 7.4 **भूतपूर्व सैनिक:** एक "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने सेना, नौसेना या वायु सेना में सेवा की है और सम्मानजनक रूप से सेवामुक्त हुआ हो तथा किसी भी आपराधिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए ध्यान में नहीं आया है।

8. अतिरिक्त समय तथा प्रलिपिक की सहायताका प्रावधान

- 8.1 अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसका अनुरोध किया गया हो। चूंकि पदों की कुछ श्रेणियों के लिए दोनों बांह (बी ए) प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त नहीं समझा गया है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्यश्रेणी के मामलेमें, **अनुबंध-I**पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देख रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि

संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

- 8.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 8.4 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे बैचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II पर** दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल पहचान पत्र (पैरा - 14.8 में दी गई सूची के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। प्रलिपिक के साथ साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी **अनुबंध- II प्रपत्र** के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खोदेगा।
- 8.5 किसी अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी की इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में सहायता करते पकड़ा गया तो, उन दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 8.6 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.7 पैरा 8.1 और 8.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.8 शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने प्रलिपिक / पैसेज रीडर और / या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें कम्प्यूटर आधारित परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग द्वारा मांगे जाने पर या दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 8.9 परीक्षा परिसर के अंदर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.10 एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रतिलिपिक की सेवाओंके हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

9. अनिवार्य योग्यता(अ.यो) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

9.1 संबंधित प्रयोक्ता विभागों / मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार,प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए पद(पदों) के ब्यौरे/विवरण में उल्लेख किया गया है।

9.2 आयु सीमा और अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) / अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि क्रमशः 01.01.2022 एवं 13.06.2022 होगी।

9.3 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास **अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है** और वे ऊपर पैरा 9.2 में उल्लिखित निर्णायक तारीख को **आयु सीमा** को भी पूरा करते हैं।

9.4 जिन पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद ही होना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के दौरान प्राप्त किया गया इंटरशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव, आदि अथवा यदि यह शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त हुआ हो, अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा

9.5 उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में **अनुभव** का एक **अनिवार्य योग्यता**के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होने का बाद, आयोग द्वारा मांगे जाने पर आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ **सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

9.6 चयन सिर्फ पद के भर्ती नियमों के अनुसार होगा। अभ्यर्थियों द्वारा यह नोट कर लिया जाए कि विज्ञप्ति में किसी श्रेणी के पद के लिए विहित अनिवार्य योग्यता के लिए समकक्ष योग्यता उल्लिखित न होने पर समकक्षता को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यदि भर्ती नियमों में समकक्षता की अनुमति दी जाती है, तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों

(संख्या और दिनांक सहित आदेश / पत्र), जैसा विज्ञप्ति में उस विशेष श्रेणी(यों) के पद (दों) के सामने पद के विवरणों में उल्लिखित हो, को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

- 9.7 ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।
- 9.8 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तदनुसार, जब अभ्यर्थी ने वह योग्यता हासिल की थी, यदि ऐसी डिग्रियां उस संगत अवधि के लिए मान्यताप्राप्त नहीं हैं, तो उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.9 शासकीय राजपत्र में भाग-III(8)(v) के अधीन दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली, 2017 के अनुसार अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मैसी, वास्तुकला तथा भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण की अनुमति नहीं है।
- 9.10 तथापि अकादमी वर्ष 2009-10 तक नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों को इग्नू द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा को, जहां कहीं भी लागू हो, वैध माना जाएगा।
10. **आवेदन कैसे करें :**
- 10.1 अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा अर्थात् यदि कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क भरना होगा।
- 10.2 **अभ्यर्थियों को पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना चाहिए।**
- 10.3 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-IV** और **अनुबंध-V** को देखें।

10.4 ऑनलाइन आवेदनजमा करने की अंतिम तिथि **13.06.2022 (23.00 बजे)** है।

10.5 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग कीवेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

10.6 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है।

10.7 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा मांगे जाने पर इसे विधिवत रूप में स्वप्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जमा करें।

10.8 दस्तावेज सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है। **(कृपया पंजीकरण और आवेदनपत्र का नमूना क्रमशः अनुबंध –XIV और अनुबंध- XV पर देखें)**

11. आवेदन शुल्क:

11.1 देय शुल्क रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)

11.2 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई की शाखाओं में किया जा सकता है।

11.3 सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति(अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों (दि.) एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भूपूसै) को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।

11.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक **15.06.2022 (23.00 बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि जो अभ्यर्थी एसबीआई चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं वह अभ्यर्थी दिनांक **18.06.2022** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर एसबीआई की नामित शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक **16.06.2022 (23.00बजे)** से पहले तैयार कर लिया हो।

- 11.5 निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए जाने वाले शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 11.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैया किए गए लिंक "Payment Status" पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.7 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही उसका समायोजन किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए किया जाएगा। आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

12. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [27.06.2022 से 29.06.2022 (23:00 बजे)]:

12.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

12.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में किसी और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

12.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

12.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

12.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

12.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

12.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

13. परीक्षाकेन्द्र

क्रम सं	परीक्षा केंद्र	केंद्र कोड
1	चण्डीगढ़ / मोहाली	1601
2	जम्मू	1004
3	श्रीनगर	1007
4	लेह	1005
5	कारगिल	1008
6	दिल्ली	2201

13.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

13.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित कर दे।

14. परीक्षा की रूपरेखा:

14.1. जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता i) मैट्रिकुलेशन स्तर,ii) उच्च माध्यमिक स्तर तथा iii) स्नातक और उससे ऊपर के स्तर की है, उनके लिए तीन अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें वस्तुपरक / बहु विकल्पीय चयन वाले प्रश्न होंगे। विषय, विषय-वार अंकों और प्रश्नों की संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है :-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
क	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	50	60 मिनट (पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट)
ख	सामान्य जानकारी	25	50	
ग	परिमाणात्मक अभिरूचि (प्रारंभिक अंकगणित कौशल)	25	50	
घ	अंग्रेजी भाषा (प्रारंभिक ज्ञान)	25	50	

14.2. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.50 अंक काटे जाएंगे** (अधिकतम 2 अंक प्रति प्रश्न)।

14.3. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तियों को आयोग द्वारा दिनांक 07.02.2019 की विज्ञप्ति संख्या 1-1/2018- नीति एवं योजना-I के माध्यम से प्रकाशित सूत्र का उपयोग करके सामान्यकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

14.4. टंकण / डेटा एंट्री / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षाआदि जैसी कौशल परीक्षाएं, जहाँ अनिवार्य योग्यता में निर्धारित की गई है, का आयोजन किया जाएगा, जो अर्हक प्रकृति का होगा।

14.5. आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी वार संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्रत्येक घटक में विभिन्न न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

14.6. परीक्षा के आयोजन के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियां प्रस्तुत की जाएंगी। अभ्यर्थी अनंतिम उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं और अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा दी गयी समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हैं, तो 100/-रू. प्रति प्रश्न के भुगतान पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पूर्व उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14.7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निर्देशनात्मक पाठ्यक्रम

14.7.1 मैट्रिकुलेशन स्तर

सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकड़े वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखलासे संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषण क्रियाओं के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।

सामान्य जानकारी: इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारतीयसंविधान व वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि सहित और भारत व उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

परिमाणात्मक अभिरूचि : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

अंग्रेजी भाषा : इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा के पारंपरिक ज्ञान, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इनके सही प्रयोग की समझ और उसकी लेखन योग्यता की जांच की जाएगी।

14.7.2. 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) स्तर :

सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित आंकड़ें, अंकीय/आकृतिक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच,

समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाएं।

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकनके ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

संख्यात्मक अभिरुचि : अंकगणित: संख्या प्रणाली पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज (साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य। **बीजगणित:** स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र। **रेखागणित :** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय : त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा। **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड। **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता आदि। **सांख्यिकीय चार्ट :** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन, दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

अंग्रेजी भाषा : त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

14.7.3. स्नातक एवं उससे ऊपर का स्तर :

सामान्य बुद्धिमत्ता: इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं : अर्थगत समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, अर्थगत श्रृंखला, अंक श्रृंखलाएं, आंकड़े संबंधी क्रम, समस्या समाधान,

शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलैजेशन, वेन आरेख, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय।

सामान्य जानकारी : पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच किए जाने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन संबंधी मामलों की जानकारी एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

परिमाणात्मक अभिरुचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के संबंध में उसके बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुजकोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

अंग्रेजी भाषा: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की सही समझ, उसके मूल परिज्ञान और लेखन की योग्यता को जांचा जाएगा।

क, ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात् स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग-ग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

15. परीक्षा में प्रवेश:

- 15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी

गई शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र/अनुदेश जारी किए जाएंगे।

- 15.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 18 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार संवीक्षा के उक्त चरण के लिए चुने गए अभ्यर्थियों से संवीक्षा चरण तथा दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ समर्थनकारी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां मांगी जाएंगी। दस्तावेजों की जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है, तो आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 15.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश प्रमाण पत्र (प्र.प) आयोग के संबंधित क्षेत्रीयकार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीयकार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट www.sscnwr.org और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट <https://ssc.nic.in> का अवलोकन करते रहें।
- 15.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के उन क्षेत्रीयकार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन चुना गया परीक्षा-केंद्र पड़ता हो, चाहे संबन्धित पद की श्रेणी/ क्षेत्र कुछ भी हो। दस्तावेज सत्यापन के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा जारी किए जाएंगे जिससे पद-श्रेणी संबन्धित हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 15.5 परीक्षा के बारे में सूचनाएं जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

(पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नकरने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

15.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, रोल नं पंजीकृत ईमेलआईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

15.7 परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना आवश्यक होगा।**

15.8 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, ऐसा न होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे:

- 15.8.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
- 15.8.2 मतदाता पहचान-पत्र,
- 15.8.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
- 15.8.4 पैन कार्ड,
- 15.8.5 पासपोर्ट,
- 15.8.6 स्कूल / कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र,
- 15.8.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र
- 15.8.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवामुक्ति बुका
- 15.8.9 केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो लगा वैध पहचान-पत्र।

15.9 **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र अवश्य लाना होगा। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

15.10 पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.11 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।

15.12 धुंधलाफोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही टोपी, चश्मे, धूप के चश्मे, धुंधले, लघु-चित्र, तिरछे चेहरे वाले फोटो भी रद्द कर दिए जाएंगे।

16. दस्तावेजों का सत्यापन

- 16.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ में पैरा सं.15.8 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ फोटो प्रतियों सहित दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 16.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 16.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र, पैरा सं. 15.8 में किए गए उल्लेख अनुसार, लाना आवश्यक है।
- 16.4 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:
- 16.4.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 16.4.2 आवेदित पद श्रेणी की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 16.4.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- 16.4.4 यदि पद के लिए अपेक्षित है तो अनुभव प्रमाणपत्र।
- 16.4.5 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र।
- 16.4.6 यदि लागू हो, तो अपेक्षित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- 16.4.7 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र:
- 16.4.7.1. यदि लागू हो, तो अनुबंध- IX के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र।
- 16.4.7.2 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र।
- 16.4.8 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र।
- 16.4.9 सरकार में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र
- 16.4.10 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- 16.4.10.1. महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति/पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या

पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.4.10.2. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्रकी सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

16.4.10.3. महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;

16.4.10.4. पुरुष और महिलादोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

16.4.11. दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

17. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ : अनुबंध-XIII के अनुसार

18. चयन प्रक्रिया :-

18.1 चयन पदों के लिए भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रणाली में परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे।

18.2 उन सभी अभ्यर्थियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा उनके द्वारा चुने गए परीक्षा केन्द्र में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

18.3 जिन आवेदनों में फोटोग्राफ धुंधले / लघु-चित्र / तिरछे दृश्यमान/ धूप के चश्मे के साथ/ चश्मे के साथ/ टोपी के साथ होंगे अथवा बिना फोटो के होंगे, हस्ताक्षर धुंधले होंगे/ नहीं होंगे/ लघु हस्ताक्षर होंगे, शुल्क प्राप्त नहीं हुई होगी/ अपूर्ण आवेदन/ इत्यादि होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। **स्वीकार्य/ अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XII पर दिए गए हैं, कृपया देख लें।**

18.4 जो अभ्यर्थी विभिन्न स्तरों (मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक (10+2), स्नातक और उच्चतर) के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे 'समान अभ्यर्थी' कहलाते हैं।

18.5 ऐसे 'समान अभ्यर्थियों' को अनिवार्य योग्यता के एक स्तर के लिए सिर्फ एक प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, एक अभ्यर्थी जिसने तीन या अधिक पद-श्रेणी के तीन

अनिवार्य योग्यता स्तरों (मैट्रिकूलेशन, उच्च-माध्यमिक और स्नातक एवं उच्चतर)के लिए आवेदन किया है, उन्हें सिर्फ तीन प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे अर्थात हर अनिवार्य योग्यता स्तर के लिए एक।

18.6 समानअभ्यर्थियों को पद के एक स्तर के लिए केवल एक ही बार परीक्षा में बैठना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । यदि किसी अभ्यर्थी ने दो स्तर अर्थात मैट्रिकूलेशन और उच्चतर माध्यमिक (10+2) के पदों के लिए आवेदन किया है, तो उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी(एक बार मैट्रिक स्तर के पद – श्रेणी के लिए और एक बार उच्चतर माध्यमिक स्तर पद- श्रेणी के लिए) ।

18.7 निम्नलिखित रूप में कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर भर्ती के अगले चरण में विचार नहीं किया जाएगा ।

अ.ना.	: 35 %
ई डब्ल्यू एस	: 30%
अन्य श्रेणियां	: 25 %

18.8 पदों की किसी विशेष श्रेणी की रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ।

- पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 तक की रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपात में ।
- पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 से अधिक, न्यूनतम 100 के अध्यक्षीन रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में ।

18.9 जिन अभ्यर्थियों को संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित हार्ड कॉपी में शैक्षिकयोग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु में छूट आदि (यथा लागू) सभी सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को जमा करना होगा ।

18.10 संबंधित प्रयोक्ता विभाग से परामर्श कर,दस्तावेज सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी: संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत, पदों की एक विशेष श्रेणी के लिए भर्ती नियमों (आरआर) में उल्लिखित प्रावधानों/ विवरणों के अनुसार दस्तावेजों की जांच की जाती है। तथापि, यदि किसी भी स्तर पर आयोग को भर्ती नियमों (आरआर) के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उसे पद-श्रेणी से संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ मंत्रालयों से प्राप्त किया जाएगा।

18.11 कौशल परीक्षा, जहाँ कहीं भी निर्धारित की गयी हो, उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनके दस्तावेजों की हार्ड कापी जांच के स्तर पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ में प्राप्त की गयी हो और वह सुव्यवस्थित हो।अर्हक अभ्यर्थियों का शारीरिक क्षमता परीक्षा

(पीईटी) / शारीरिक माप परीक्षा (पीएमटी), जहां भी लागू हो, संघ शासित लद्दाख के प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

- 18.12** विशेष श्रेणी के पद के लिए जांच स्तर पर सही पाए जाने वाले सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए, प्रवेशप्रमाण पत्र, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 18.13** अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात उनके मूल दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के संबंध में किसी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना दी है।
- 18.14** पद की किसी विशेष श्रेणी के लिए अंतिम परिणामों की घोषणा के समय क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) चंडीगढ़ की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित/ उपलब्ध किए जाएंगे। बाकी सभी अन्य अभ्यर्थियों के अंक, किसी भी श्रेणी के पद के लिए, जिन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया था, चयन पद भर्ती/ लद्दाख/2022 के विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित समस्त श्रेणियों के पदों के एकसाथ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।
- 18.15** अजा., अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के उन अभ्यर्थियों, जिनका शिथिल मानकों में छूट के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है को रिक्तियों के आरक्षित कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां पात्र अजा., अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों में से अलग से भरी जाएगी।
- 18.16** अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक, आपिव और दिव्यांगजनश्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं

कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

18.17 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

18.18 संघ शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थीसेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

18.19 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

18.20 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को लद्दाख में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है।

18.21 अगर, दस्तावेज जांच/ अंतिम दस्तावेज सत्यापन के समय, आयोग को लगता है कि विशेष पद-श्रेणी के लिए रिक्ति (यां) पूर्णतः नहीं भर रही है, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को, 5 रिक्तियों तक 1:20 के अनुपात में और 5 से ज्यादा रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में रिक्तियों को भरने के लिए, आयोग के निर्णय पर, सिर्फ और एक बार बुलाया जाएगा।

18.22 विभिन्न विभागों जैसे कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ आशुलिपिक, चालक ग्रेड- II, अर्दली और सफाईवाला के लिए सामान्य पदों के संबंध में विभागों का आवंटन चयनित अभ्यर्थियों के योग्यता सह वरीयता के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन सूची की अधिसूचना के बाद चयनित अभ्यर्थियों से विभागों के वरीयता क्रम लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांगा जाएगा।

19. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामान्यकृत अंक समान होने की स्थिति में, निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए अनुक्रम में क्रियान्वित करके, जब तक कि बराबरी(टाई) का मामला हल न हो जाए, बराबरी के मामलों का निपटान किया जाएगा :

- i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक।
- ii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में अंक।
- iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में अंक।

- iv) जन्म तिथि के आधार पर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- v) नाम कावर्णानुक्रम।

20. आवेदनपत्र / अभ्यर्थिता को निरस्त/रद्द करने के कारण :

20.1 निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदकों के आवेदन-पत्र/अभ्यर्थिता निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

- 20.1.1. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- 20.1.2. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- 20.1.3. आवेदन-पत्र में अस्पष्टफोटोग्राफ(लघु फोटोग्राफ/ तिरछे दृश्यमान फोटोग्राफ/ धूप के चश्मे के साथ फोटोग्राफ/ चश्मे के साथ फोटोग्राफ/ टोपी के साथ फोटोग्राफ होंगे अथवा बिना फोटो के होंगे/ धुंधले फोटोग्राफ आदि)और स्पष्ट हस्ताक्षरन होने की स्थिति में,
- 20.1.4 परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- 20.1.5. अनुदेशानुसारशुल्क का भुगतान न करने पर।
- 20.1.6. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी।
- 20.1.7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/ अजजा/ ईडब्ल्यूएस,शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों को प्रस्तुत न करने पर।
- 20.1.8. 13.06.2022** की स्थिति के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, अनुभवन होने की स्थिति में एवं 01-01-2022 की स्थिति के अनुसार आयु न होने पर।
- 20.1.9. महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना
- 20.1.10. संगत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- 20.1.11. परीक्षा परिसर /हॉल में निषेधात्मक साधनों को ले जाना,
- 20.1.12. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना
- 20.1.13. परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-21 में दिए गए कदाचारों में से किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- 20.1.14. अनिवार्य योग्यता(अर्थात् मैट्रिकूलेशन, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक एवं ऊपर के स्तर) के एक ही स्तर के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में दो बार बैठना।
- 20.1.15. परीक्षा भवन में नशे की हालत में अभ्यर्थियों के पाए जाने पर।
- 20.1.16. कोई अन्य अनियमितता

21. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को दंड देना/उन्हें वारित करना

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से	7 वर्ष

	उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	
14	आनेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नैपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	8 वर्ष

22. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा मेरिट लिस्ट तैयार करने एवं कोर्स आबंटन, कदाचारों में लिप्त होने पर वारित करने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद चंडीगढ़ क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगा जहां कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) स्थित है।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा की सूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपी है। किसी के मामले में विवाद, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।
-----	---

(ख)	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है। यदि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय नाम और जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ग)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(घ)	कर्मचारी चयन आयोगकंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 18 में उल्लिखितचयन प्रक्रियाके अनुसार शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संवीक्षा के उपर्युक्त चरण और दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी।भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया कोई दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ङ.)	अजा/अजजा/अपिव/दि./ईडब्लूएस/भू.सै.के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(च)	केवल बेचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है, उसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र की एक प्रतिप्रिंट करके कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद, संवीक्षा-स्तर पर और आयोग द्वारा जब कभी भी मांगे जाने पर, जमा करने के लिए और साथ ही अपने खुद के रेकॉर्ड के लिए रख लेनी चाहिए।
(ज)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइनआवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। एक श्रेणी पद के लिए अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और पद संबंधी परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ञ)	ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए और पूर्णरूप से दृश्य चेहरे के साथ फोटोग्राफ के कुल क्षेत्र के लगभग 40% हिस्से में चेहरा होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे के होने चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। खराब, लघु फोटोग्राफ/ धुंधले फोटोग्राफ/ तिरछे दृश्यमान फोटोग्राफ वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने

	होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/अपाठ्य/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को फौरन निरस्त कर दिया जाएगा।
(ट)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार (आयोग द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो के विकल्प का उपयोग करने के बाद) के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ठ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-12 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ड)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ढ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस.के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ण)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और अपना हाल ही काफोटो लगा कम से कम एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या नियोक्ता या केन्द्रीय / राज्य सरकारद्वारा जारी किया गया फोटो/ पहचान पत्रमूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को उनके जन्मतिथि के प्रमाण के लिए एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र और जन्मतिथि के समर्थन में लाये गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8.1 और 8.2 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(त)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(थ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.)वाले हैं अर्थात् चयन होने पर अभ्यर्थीको देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(द)	उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा।
(ध)	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे विधिवत रूप में स्व अनुप्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित

परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।	
(न)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन माह के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(प)	देयशुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(फ)	दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता-प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।
(ब)	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत/हस्ताक्षर करने से पहले, उम्मीदवारों को के माध्यम से जाना चाहिए भरे गए आवेदन विवरण और स्वयं घोषणा की सामग्री और सहमत/हस्ताक्षर यह स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है कोई भी जानकारी छुपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा के कारण उम्मीदवारी रद्द की जा सकता है।

25. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

26. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1	अनुबंध-I	शा.दि. (एक परीक्षार्थी के लिखने की सीमा के संबंध में)	सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक
2	अनुबंध-II	शा.दि. (अपना प्रलिपिक प्रयोग करने के लिए वचन पत्र	आवेदक स्वयं
3	अनुबंध-III	पदों की श्रेणियों का विवरण	
4	अनुबंध-IV तथा V	एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश	
5	अनुबंध-VI	अ.जा	तहसीलदार
6	अनुबंध-VI(क)	अ.ज.जा	तहसीलदार
7	अनुबंध-VII	आवास प्रमाण पत्र	तहसीलदार
8	अनुबंध-VIII	प्रपत्र-VI	शा.दि. चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		प्रपत्र-XIII-क, XIII-ख और XIII-ग	
9	अनुबंध-IX	ईएसएम	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी
10	अनुबंध-X	जीई	कार्यालय या विभाग का प्रमुख
	अनुबंध-X(क)		स्वयं आवेदक

11	अनुबंध-XI	ईडलब्यूएस	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।
			कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
12	अनुबंध-XII	आवेदनपत्र में स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने	
13	अनुबंध-XIII	प्रयोग किए गए संक्षिप्त नाम	
14	अनुबंध-XIV	पंजीकरण के नमूने	
15	अनुबंध-XV	आवेदन प्रारूप के नमूने	

टिप्पणी: संगत श्रेणी प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक तिथि अर्थात 13.06.2022 को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाए।

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि
.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से
पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूँ कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन
क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III को इस विज्ञप्ति के अंत में देखा जा सकता है।

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन एकबारगी 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्षके बारे में जानकारी।
 - ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां और संपर्क विवरण
 - ग. स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना।
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
 - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

- ख.** क्रमसंख्या- 1:आधार संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग.** क्रमसंख्या- 2: नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2ग और 2घ में करें।
- घ.** क्रमसंख्या- 3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ.** क्रमसंख्या- 4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च.** क्रमसंख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ.** क्रमसंख्या- 6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- शिक्षा बोर्ड का नाम
 - रोल नंबर
 - उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज.** क्रमसंख्या- 7:लिंग (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)
- झ.** क्रमसंख्या- 8:शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ.** क्रमसंख्या- 9:आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रियमोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भीआपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट.** क्रमसंख्या- 10:आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रियईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ.** अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड.** जब क्रम संख्या 1से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होनेपर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ.** आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण.** अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त.** पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रमसंख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रमसंख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रमसंख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बैचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या-15 से 18 : अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- म. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. यद्यपि आप अपने पंजीकरण डेटा को संपादित/संशोधित कर सकते हैं, आपको वन-टाइम में विवरण भरते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। पंजीकरण डाटा में गलत/गलत जानकारी के कारण आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों जेपीईजी प्रारूप (20 से 50 केबी) में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो अपलोड करना होगा। फोटो परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी नहींहोनी चाहिए। इस संबंध में अभ्यर्थियों को एक वचन-पत्र देना होगा। फोटोग्राफ का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना और पूर्ण दृश्यमान चेहरे के साथ फोटो में चेहरे का प्रतिशत लगभग 40% होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और फोटो में दोनों कान दिखाई देना चाहिए। खराब, लघु-चित्र एवं धुंधली फोटो/ तिरछे दृश्यमान फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। **अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XIIमें दिए गए हैं।कृपया देखें।**

ख. जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।** दृ.दि. अभ्यर्थियों के लिए अंगूठे के निशान की भी अनुमति है।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. "नवीनतम अधिसूचना" TAB के अंतर्गत खंड "चयन पद /लदाख/2022" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रमसंख्या- 1 से 14, 27 और 29 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आप इनमें से कोई डाटा संशोधित करना चाहते हैं, 'Modify Registration' पर क्लिक करें और एक बारगी पंजीकरण डाटा में यथोचित रूप से परिवर्तन करें।
5. क्रम संख्या-15: उस क्षेत्र के नाम का चयन करें जिससे वह पद संबद्ध है।
6. क्रम संख्या-16: उस पद कोड का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। **यह भी पुष्टि करें कि (आगे बढ़ने के लिए ✓चेक बॉक्स को टिक करें) क्या पद से संबंधित आवश्यक योग्यता/अनुभव आदि आपके द्वारा पढ़े गए हैं।**
7. क्रम संख्या-17 तथा 18: आपके द्वारा चयनित पद कोड के आधार पर पदनाम और पद का स्तर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
8. क्रम संख्या-19: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
9. क्रम संख्या-20: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/ भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
10. क्रम संख्या-21.1: यदि आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं, तो सूचना भरें।
11. क्रम संख्या-21.2: यदि लेखन हेतु आपकी शारीरिक सीमाएं हैं और आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो उल्लेख करें। और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की इस विज्ञप्ति का पैरा 8.2 देखें।
12. क्रम संख्या-21.3 से 21.5: यदि आपको परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

13. क्रम संख्या-22: यह सूचना पद के ब्यौरों के साथ स्वतः भरी जाएगी।
14. क्रम संख्या-23: अगर क्रम सं. 22 में मान हां है तो कौशल-परीक्षा का माध्यम चुनना पड़ेगा।
15. क्रम संख्या-24: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपर्युक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
16. क्रम संख्या-25 एवं 25(क) : पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें(पद से संबंधित कोई अन्य संगत योग्यता)।
17. क्रम संख्या-26: कृपया अपना कार्य अनुभव इंगित करें।
18. उपर्युक्त क्रम सं. 1क के अनुसार निर्दिष्ट अपना नवीनतम (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) फोटो अपलोड करें।
19. उपर्युक्त क्रम सं.1ख के अनुसार निर्दिष्ट अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
20. "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
21. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया जांच करें कि आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण सही हो एवं ऊपर उल्लिखित विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर फोटो/हस्ताक्षर से संबंधित दिए निर्देशों का विधिवत पालन हो रहा हो। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें व आवेदन को "सबमिट" करें।
22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
23. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से तथा एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद के रूप में किया जा सकता है।
24. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए और आयोग द्वारा यथा अपेक्षित होने पर आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए।

प्रपत्र 'VIII'

प्रमाणपत्र का प्रारूप: अनुसूचित जाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा
अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना है

जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा
जिला/संभाग.....राज्य.....की
जाति से संबंधित हैं जिसे संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप
में मान्यता प्राप्त है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(सक्षम प्राधिकारी की मुहर सहित)

प्रपत्र 'IX'

प्रमाणपत्र का प्रारूप: अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा
अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना है

जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है
कि.....पुत्र/पुत्री.....निवासी
ग्राम/कस्बा.....
जिला/संभाग.....राज्य.....की
जनजाति से संबंधित हैं जिसे संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989, समय- समय पर यथा
संशोधित,के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(सक्षम प्राधिकारी की मुहर सहित)

आवास प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

फार्म-बी
(पैरा 6 देखें)

केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
(कार्यालय तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी.....)

निवासी प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या _____

दिनांक: _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवासी
_____ ग्राम/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख, पिन
कोड _____ आधार संख्या _____ जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, लद्दाख के केंद्र
शासित प्रदेश का निवासी है।

2. यह कि आवेदक निवासी प्रमाणपत्र प्रदान करने संबंधी (प्रक्रिया) आदेश, 2021 के पैरा 5 के अनुसार पात्र है।

तहसीलदार/सक्षम प्राधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद _____

आवेदक का हाल ही
का पासपोर्ट आकार का
तहसीलदार/सक्षम
प्राधिकारी की मुहर के
साथफोटो

“प्रपत्र'VI'
दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन

- (1) नाम: _____
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
- (2) पिता का नाम: _____ माता का नाम: _____
- (3) जन्म तिथि : _____ / _____ / _____
(तारीख) (महीना) (वर्ष)
- (4) आवेदन के समय आयु: _____ वर्ष
- (5) लिंग: पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर: _____
- (6) पता:
- (क) स्थायी पता (ख) वर्तमान पता (अर्थात पत्राचार हेतु)
- _____
- _____

- (ग) वर्तमान पते पर रहने की अवधि: _____
- (7) शैक्षिक स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)
- (i) स्नातकोत्तर
- (ii) स्नातक
- (iii) डिप्लोमा
- (iv) उच्चतर माध्यमिक
- (v) हाई स्कूल
- (vi) माध्यमिक
- (vii) प्राथमिक
- (viii) निरक्षर
- (8) व्यवसाय: _____
- (9) पहचान चिह्न: (i) _____ (ii) _____
- (10) दिव्यांगता की प्रकृति:
- (11) दिव्यांगहोने की अवधि: जन्म से/ _____ वर्ष से
- (12) (i) क्या आपने पहले कभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, तो विवरण दें :
- (क) किसप्राधिकरण के लिए और किस जिले में आवेदन किया: _____
- (ख) आवेदन का परिणाम: _____

(13) क्या आपको पूर्ववत कभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया एक वास्तविक प्रति संलग्न करें।

घोषणा: मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है सही हैं और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई या गलत नहीं बताई गई है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि आवेदन में किसी प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है, तो मैं प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ की समाप्ति और कानून के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

(दिव्यांगव्यक्ति या उसके कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और बहु- दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के संबद्ध में, आदि)

दिनांक:

स्थान:

संलग्नक:

1. आवास का प्रमाण (कृपया किसी एक पर, जैसा लागू हो, निशान लगाएं)।

(क) राशन कार्ड,

(ख) वोटर आईडी कार्ड,

(ग) ड्राइविंग लाइसेंस,

(घ) बैंक पास बुक,

(ङ) पैन कार्ड,

(च) पासपोर्ट,

(छ) टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल और आवेदक के पत्राचार को दर्शाने वाली कोई अन्य उपयोगिता बिल,

(ज) पंचायत, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी, या संबंधित पटवारी या सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,

(झ) दिव्यांग, निराश्रित, मानसिक रूप से बीमार और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों लिए एक आवासीय संस्थान के एक निवासी के संबद्ध में, ऐसी संस्था के प्रमुख से निवास का प्रमाण पत्र।

(ञ) आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या, यदि कोई हो।

2. दो हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो

(कार्यालय के उपयोग के लिए)

दिनांक:

स्थान:

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

“प्रपत्र-‘XIII-क’

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंग के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात अथवा बौनापन और अंधापन के मामले)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो (केवल
चेहरे का)

दिनांक:

प्रमाणपत्रसं.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्मतिथि-----आयु..... (दि./म./व.).....पुरुष/महिला-----
----- पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान
नं.....वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....
.....राज्यकी सावधानीपूर्वक जांच की है।

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

गतिविषयक विकलांगता

बौनापन

नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान किया गया है:

दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश सं. और उनके जारी किए जाने कि तारीख का उल्लेख करें) के अनुसार उसके
.....(शारीरिक अंग) के संबंध में%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में)
स्थायी शारीरिक क्षति/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं : -

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए दिव्यांगता
प्रमाणपत्र जारी किया
गया है

“प्रपत्र-‘XIII-ख’
निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
 -----जन्म तिथि ----- (दि./म./व.) आयु ----- वर्ष पुरुष/महिला-----
 ----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----जिला -----
 ---- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है
 और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी स्थायी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित दिव्यांगताओं के लिए
 मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			

6.	तेजाब हमले के पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज			

@-उदाहरणतःबाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे #-उदाहरणतःएक आँख

£-उदाहरणःबाएं/दाएं/दोनों कान

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:-

अंको में प्रतिशत, शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. दिव्यांगता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र
(तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की
छाप
जिसके लिए निःशक्तता
प्रमाणपत्र जारी किया गया है

“प्रपत्र-‘XIII-ग’
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
 (प्रपत्र XIIIकऔरXIIIख में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का
 पासपोर्ट आकार का
 अनुप्रमाणित फोटो (केवल
 चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
 -----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
 ----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला ---
 ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच
 की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का
 दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित
 दिव्यांगताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया
 है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब हमले के पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		

9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन दिव्यांगताओं को काट दें जो लागू न हों)

@-उदाहरणतः:बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे #-उदाहरणतः:एक आँख/दोनों आंखे €-उदाहरणः:बाएं/दाएं/दोनोंकान

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र
(तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

प्रपत्र 'XIV'

कार्यालय जिला सैनिक बोर्ड/यूनिट कमांडिंग अधिकारी

भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवासी _____
ग्राम/मोहल्ला _____ तहसील _____ जिला _____ बल का एक सैनिक और उक्त बल से सेवा-
मुक्त है या _____ बल का एक भूतपूर्व सैनिक है और _____ को उक्त बल की सेवा से
सम्मानजनक रूप से सेवा-मुक्त कर दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक _____

आयु में छूट चाहने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 3.4 देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ एक सरकारी कर्मचारी हैं
जो _____ के वेतन स्तर पर _____ के पद पर अंतिमतिथि के अनुसार नियमित सेवा कर
चुके हैं।

चयन पद भर्ती/लदाख/2022 परीक्षा में उनके बैठने में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा-3.4 देखें)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने **चयन पद भर्ती/लद्दाख/2022** परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ :

नियुक्ति की तिथि

वर्तमान धारित पद तथा वेतनमान

नियोजक का नाम एवं पता, दूरभाषसं./फैक्स/ई-मेल:.....

स्थान

तारीख.....

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

प्रपत्र XIVA
केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
जिला _____ केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख, पिन कोड
_____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष
..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम
है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम,
2004(2004 का XIV) की धारा 2 के खंड (ड), (ढ) एवं(ण) में परिभाषित किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....
नाम
पदनाम.....

आवेदक का हाल का पासपोर्ट
आकार का अभिप्रमाणित फोटो

*टिप्पणी 1: आय के सभी साधन शामिल अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेता है, उसके/उसकी माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और साथ ही उसके/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

*** टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व का आकलन करते समय "परिवार" द्वारा भिन्न स्थानों या भिन्न जगहों/ शहरों में धारित संपत्ति को इकट्ठा कर दिया गया है।

स्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने और X निशान लगे अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

ओके स्वीकृत



अत्यधिक रंगीन X




बहुत नजदीक X



धुंधले फोटोग्राफ X



उल्टी फोटो X



अत्यधिक गहरा रंग X



धूप वाले चश्मे के साथ X



तिरछी दृश्यमान फोटो **X**



बहुत छोटा **X**



चश्मे के साथ **X**



टोपी के साथ **X**



अनुबंध-XIII

प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

एआईएसएल:	अखिल भारतीय सेवा दायित्व,
बीएल:	दोनों पैर प्रभावित,
सीजीसीई:	केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी ,
डी / ओ:	विभाग,
डीक्यू:	वांछनीय योग्यता,
ईक्यू:	अनिवार्य योग्यता,
ईएसएम:	भूतपूर्व सैनिक,
ईडब्लूएस:	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
जीईएन:	सामान्य
एचएच:	श्रवण दिव्यांग
आईपी:	प्रारंभिक पोस्टिंग,
जेआर:	नौकरी की आवश्यकताएं,
एलवी:	अल्प दृष्टि,
एम / ओ:	मंत्रालय,
एनए:	लागू नहीं,
ओ/ओ :	का कार्यालय,
ओए:	एक बांह प्रभावित,
ओबीसी:	अन्य पिछड़ा वर्ग,
ओईए:	अन्य नियोजित आवेदक।
ओएच:	अस्थि दिव्यांग,
ओएल:	एक पैर प्रभावित,
पीडी:	आंशिक बधिर,
पीडब्ल्यूडी:	दिव्यांग व्यक्ति
एससी:	अनुसूचित जाति,
एसएससी:	कर्मचारी चयन आयोग;
एसटी:	अनुसूचित जनजाति,
यूआर:	अनारक्षित,
वीएच:	दृष्टि दिव्यांग,

पंजीकरण के नमूने – चयन पद/लहाख/2022

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *

 Yes No

1a. Aadhaar Number

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Driving License



Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

BRHPK3731M

2a. Name *

SAMPLE NAME

1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

SAMPLE NAME

2c. Have you ever changed Name?

 Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *

301739

(v). Year of Passing *

2013 ▼

(vi). Verify Year of Passing *

2013 ▼

7a. Gender *

Male Female Transgender

7b. Verify Gender *

Male Female Transgender

8. Level of Educational Qualification *

Graduation ▼

9a. Mobile Number *

8111111111

9b. Verify Mobile Number *

8111111111

10a. Email ID *

sample123@gmail.com

10b. Verify Email ID *

sample123@gmail.com

• State / UT of Permanent Address *

Delhi ▼

Save

Reset

Close

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

Edit

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

[Previous](#)

[Take Draft Print](#)

[Final Submit](#)

[Close](#)

आवेदन प्रारूप के नमूने- चयन पद/लद्दाख/2022

Selection Posts / Ladakh / 2022	
Instructions	
PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM	
1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	02/01/1999
6. Age as on 01/01/2022:	22.11
7. Gender:	Female
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	Yes
9.1. If Yes, Type of Disability:	OH

10. Nationality: Citizen of India

11. Mark of Visible Identification: MOLE ON RIGHT CHEEK

12. Matriculation (10th Class) Examination Board: Central Board of Secondary Education (CBSE)

13. Matriculation (10th Class) Roll No.: 301739

14. Matriculation (10th Class) Year of Passing: 2013

15. Region to which the post belong* North Western Sub Region

16. Post Code* NW22522

17. Post Name* STOCK ASSISTANT

18. Level of Post* Higher Secondary (10+2)

Essential Qualifications/Experience etc. related to the post has been read by me.*

19. Preference of Examination Centre: * NWR-Jammu(1004) NWR-Leh(1005) NWR-Kargil(1008)

20.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :* Yes No

20.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

20.3. Date of Discharge/ Tentative Discharge from Armed Forces (DD/MM/YYYY):

20.4. Length of Service in the Armed Forces:

20.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : Yes No
[Please refer to the Notice of Examination, Clause-7](#)

20.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

21.1 Whether suffering from Cerebral-Palsy: Yes No

21.2 Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?: Yes No

21.3 Whether scribe is required?: Yes No

21.4 Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

21.5 If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

22. Whether Skill Test Required?:

23. Medium of Skill Test:

Confirm Medium of Skill Test:

24.1. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

24.2. If Yes, Age Relaxation code:
[Please see Para - 6.3 of the Notice](#)

25. Essential Qualification for the Post: *

Essential Qualification relevant to the Post of interest	Subject
<input type="text" value=" &22 10+2 with Science (Medical)"/>	<input type="text" value="MEDICAL"/>

25.a. Indicate your Highest Educational Qualification (if acquired any, relevant to the Post of interest):

[Please refer to Clause 9 in the Notice of Examination](#)

26. Details of Work Experience

Name of Organization(s)	Designation	Nature of Duty(ies)	Period of Service From (DD/MM/YYYY)	Period of Service To (DD/MM/YYYY)	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

NOTE: The candidate will be required to submit experience certificate(s) as filled above. No other experience certificate will be entertained at the time of scrutiny of applications/ Document Verification.

27. Correspondence Address: Sample Permanent Address

State: Punjab

District: Patiala

Pin Code: 140401

28. Permanent Address Sample Permanent Address

State: Punjab

Pin Code: 140401

Mobile Number: 8111111111

Email: sample123@gmail.com

29. Contact Details for Other Nationals:

Photograph and Signature

Upload a photo taken on 11-02-2022 or later*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

Samples of Photographs
Acceptable/ Not-Acceptable

Choose File SamplePhot...hwithdate.jpg



Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

Choose File SampleSignature.jpg



30. Whether the photograph has been taken on or after 11-02-2022? Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the Terms & Conditions of the Notice of the Examination.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.
3. I declare that the Photograph uploaded in Application form is not more than 3 months old.
4. I am a Resident of Union Territory of Ladakh and possess the Resident Certificate as per Format at Annexure VII of Notice

I Agree



Try Another

WYVLG

Preview

Reset

Close

अगले पृष्ठ पर जारी

अनुबंध-III

पदों के श्रेणियों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें: <https://ssc.nic.in/Portal/SelectionPostDetails>

S.No	Region	Post Code.	Post Name	Department	Age	Pay Level/Structure	EQ Level	Vacancies										
								UR	ST	SC	EWS	ESM	VH	HH	OH	Others	Total	
1	NW	NW22922	Junior Assistant/Election Assistant	Various Departments of Administration of UT of Ladakh	18-42	Level-4 (25500-81100)	Graduation & Above	47	40		3	2						90
2	NW	NW22822	Junior Stenographer	Various Departments of Administration of UT of Ladakh	18-42	Level-6B (35600-112800)	Graduation & Above	12	8		1							21
3	NW	NW20722	Driver Grade-II	Various Departments of Administration of UT of Ladakh	18-42	Level-2 (19900-63200)	Matriculation	18	10									28
4	NW	NW20822	Orderly	Various Departments of Administration of UT of Ladakh	18-42	Level-SL1 (14800-47100)	Matriculation	37	29		1							67

34	NW	NW24822	Assistant Information Officer	Information Department	18-42	Level-6E (35900-113500)	Graduation & Above	3	2										5
35	NW	NW24922	Information Assistant	Information Department	18-42	Level-6 (35400-112400)	Graduation & Above	1	1										2
36	NW	NW25622	Inspector	Finance Department (Excise and State Taxes)	18-42	Level-6 (35400-112400)	Graduation & Above	1											1
37	NW	NW25722	Sub Inspector	Finance Department (Excise and State Taxes)	18-42	Level-4 (25500-81100)	Graduation & Above	3	2										5
38	NW	NW21222	Guard/Excise Guard	Finance Department (Excise and State Taxes)	18-42	Level-SL2 (15900-50400)	Matriculation	6	5		1								12
39	NW	NW25222	Chief Amchi	Health Department	18-42	Level-7 (44900-142400)	Graduation & Above	1											1
40	NW	NW25122	Warden	Health Department	18-42	Level-7 (44900-142400)	Graduation & Above	1											1
41	NW	NW22322	Junior Physiotherapist	Health Department	18-42	Level-6 (35400-112400)	Higher Secondary (10+2)	3	3										6
42	NW	NW21922	Extension Educator/Health Educator	Health Department	18-42	Level-6 (35400-112400)	Higher Secondary (10+2)	4	4		1								9

50	NW	NW21122	Vocational Instructor Mechanic Motor Vehicle	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation	1	1									2
51	NW	NW21322	Vocational Instructor Electrician	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation	1	1									2
52	NW	NW21422	Vocational Instructor Information & Communication Technology System Maintenance	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation	1										1
53	NW	NW21522	Vocational Instructor Carpentry	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation		1									1
54	NW	NW21622	Vocational Instructor Computer Operator And Programming Assistant	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation	1	1									2
55	NW	NW21722	Vocational Instructor Engineering Drawing	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-4 (25500-81100)	Matriculation	1			1							2

56	NW	NW20422	Workshop Attendant (Electrician trade)	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-SL2 (15900-50400)		1										1
57	NW	NW20522	Workshop Attendant (Plumber trade)	Technical Education & Skill Development Department	18-42	Level-SL2 (15900-50400)	Matriculation	1										1
						Grand Total		385	355	5	52	21	7	6	3	2		797